



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271283
CG-DL-E-27032026-271283

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2026/ चैत्र 3, 1948

No. 209]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2026/ CHAITRA 3, 1948

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2026

फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-08/ए1.2022/एन-01.—खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियम, 2022 के प्रारूप को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एस पी-08/ए-1-2022/एन-01, तारीख 30 नवंबर, 2022 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 5 दिसंबर, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्,-

विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम 'खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) पहला संशोधन विनियम, 2026 है।

(2) ये विनियम 1 जुलाई, 2027 को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है), के,-

(क) विनियम 5 के उप-विनियम (3) में,-

(i) खंड (ख) के उप खंड (iv) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह और कि अनुसंसित आहार भत्ते (आरडीए) को प्रति परोसे प्रतिशत (%) अंशदान तथा प्रति पैक परोसों की संख्या शिशु पोषण उत्पादों के लिए न दी जाए, जैसा कि खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020 में परिभाषित किया गया है।”

(ii) खंड (ग) के,-

(अ) उप खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्, -

“(i) न्यूनतम प्रसंस्कृत कच्चे कृषि उत्पाद जैसे कि गेहूँ, चावल, धान्य, दालें, फल और सब्जियाँ और/या एकल संघटक वाले उत्पाद।

स्पष्टीकरण : न्यूनतम प्रसंस्कृत खाद्य वह खाद्य होते हैं, जिन्हें परिरक्षण के मुख्य प्रयोजन के लिए थोड़ा सा बदला जाता है, किंतु जिससे खाद्य के पोषण अंश में सार्थक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें सफाई तथा अखाद्य या अवांछनीय हिस्सों को छाटना, पीसना, ठंडा करना, पाश्चुरीकरण करना, किण्वित करना, प्रशीतित करना, और निर्वात-पैकिंग करना शामिल हो सकता है।”

(आ) उप खंड (ii) का लोप किया जाएगा।

(i) उप खंड (xiii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड रखा किया जाएगा अर्थात्,-

“(xiii) ऊर्जा के स्रोतों का महत्व न होने पर, सूक्ष्म पोषक तत्वों के संबंध में, टेबलेट, पिल्स और कैप्सूल के रूप में, स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकलस तथा विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य (एफएसडीयू)।”

(ख) विनियम 8 के, उप विनियम (1) (क) को पुनः (1 क) संक्यंकित किया जाएगा और इसप्रकार पुनः किए गए उप विनियम (1 क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(1आ) खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अधीन अधिसूचित लोगो उस स्थिति में नहीं दिया जा सकता है जब पैकेज का सतही क्षेत्र 100 वर्ग सेंटीमटर से अधिक न हो, किंतु यह सूचना बहु-इकाई पैकेजों पर दी जाएगी।”

(ग) विनियम 10 में,-

(i) उप विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा किया जाएगा, अर्थात्,-

“(1) गैर-खुदरा बिक्री के लिए रखे गए प्रत्येक पैकेजबंद खाद्य के संबंध में निम्नलिखित अनिवार्य सूचना या तो उसके पात्र पर दी जाए या उसके साथ लगे लेबल पर दी जाए, अर्थात्,-

(क) खाद्य का नाम;

(ख) एफ.एस.एस.ए.आई लोगो और अनुज्ञप्ति संख्या;

(ग) उत्पाद की सुरक्षा और अखंडता के लिए आवश्यक होने पर, तारीख की मार्किंग और भंडारण अनुदेश;

- (घ) लोर संख्या/खेप संख्या/कोड संख्या, और
 (ङ) विनिर्माता या पैकर का नाम और पता (आयातित पैकेजों के मामले में मूल देश के नाम सहित)।

परंतु यह और बहु किस्मों के खाद्य वाले गैर-खुदरा पात्र की दशा में अनिवार्य सूचना उसमें अन्ताविष्टि प्रत्येक प्रकार के खाद्य के लिए दी जाएगी।

परंतु यह भी कि जिस गैर-खुदरा पात्र में विनियम 10 के उप-विनियम (1) में अपेक्षित संपूर्ण सूचना गैर-खुदरा पात्र के अंदर पूर्व पैकेजबंद खाद्यों के लेबल पर सुगम्य रूप से प्रदान करता है, उस दशा में विनियम 10 के उप-विनियम (1) में निर्धारित सूचना नहीं है।

(ii) उप विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“ (2) निम्नलिखित सूचना यदि लेबल पर उपबंधित न हो तो उसके संलग्न दस्तावेजों में दी जाए:

- (क) संघटकों की सूची;
 (ख) शाकाहार या मांसाहार संबंधी घोषणा, और
 (ग) शुद्ध परिमाण।

परंतु यह कि विनियम 10 के उप-विनियम (2) में अपेक्षित सूचना गैर-खुदरा पात्र के खाद्य तक खोजी जाएगी।

परंतु यह और कि यदी विनियम 10 के उप-विनियम (2) अधीन अपेक्षित सभी सूचना गौर खुदरा पात्र के भीतर पूर्व पैकेज खाद्य या गौर खाद्य पैकेज लेबल पर उपलब्ध करवाई जाती है यदी, विनियम 10 के उप-विनियम (2) लागू नहीं होता है।

परंतु यह भी कि खाद्य परिवहन यूनिट के रूप में प्रयुक्त ऐसे गैर-खुदरा पात्र की दशा में, जिस पर लेबल न लगाया जा सके, विनियम 10 के उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) के अधीन अपेक्षित सभी सूचना संलग्न दस्तावेजों में दी जाए या किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से दी जाए (उदाहारणार्थ खाद्य कारोबारों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप में) तथा उसे ऐसे पात्र के खाद्य के संबंध में आसानी से खोजा जा सके।

(iii) उप विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“ (4) गैर-खुदरा विक्री के प्रत्येक पैकेज की आसानी से पहचान की जा सके। यदि पात्र गैर-खुदरा पात्र के रूप में आसानी से न पहचाना जा सकने वाला हो, तो -

- (क) उसके साथ यह उपदर्शित करने का विवरण हो कि उसका खाद्य उपभोक्ता का सीधे बेचे जाने के लिए आशयित नहीं है या उसे गैर-खुदरा पात्र के रूप में आसानी से पहचाना जा सकने वाला बनाया जाए। ऐसे विवरण के कुछ उदाहरण हैं:

- (i) गैर-खुदरा पात्र;
 (ii) गुर-खुदरा पात्र – उपभोक्ता को सीधे विक्री के लिए नहीं; या

- (ख) उस पर कोई ऐसा अन्य चिह्न अंकित हो जिससे यह उपदर्शित हो कि पात्र सीधे उपभोक्ता को बेचे जाने के लिए आज्ञापित नहीं है। “;

(iv) उप विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप विनियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(5) साधारण सूचना:

- (क) इस विनियम या किसी अन्य विनियम के आधार पर लेबल पर अपेक्षित सूचना और विवरण साफ, दृश्यमान तथा सुपाठ्य हो और ऐसी रीति में दी जाए कि उससे छेड़-छाड़ का पता लग जाए।

- (ख) लेबल पर विनियम 10 के उप-विनियम (1) के अधीन अपेक्षित अनिवार्य सूचना गैर-खुदरा पात्र के प्रमुख स्थान पर हो तथा उसे पात्र के प्रहस्तन एवं प्रयोग की आम स्थितियों में आसानी से देखा जा सके।”
- (घ) उक्त विनियम में, अनुसूची-1 के पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्,-
 “(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढीकृत खाद्य) विनियम, 2018 के अनुसार पौष्टिकीकृत खाद्य के प्रत्येक पैकेज के लेबल पर “..... (पोषक तत्व का नाम) से पौष्टिकीकृत” शब्द तथा निम्न-विनिर्दिष्ट लोगो दिया जाए तथा लोगो के नीचे “संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन” प्रचार वाक्य भी हो सकता है।”
- (ङ) उक्त विनियम में, अनुसूची 2 के,-
- (क) पैरा 1 के उप-पैरा शीर्ष (3) की सारणी में,-
- (अ) क्रम संख्या 1 के लिए, “घोषणा” शीर्ष से संबंधित स्तंभ (3) के अधीन, विद्यमान प्रवृष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -
 “टिप्पण: चेतावनी का यह विवरण पान मसाला से संबंधित विज्ञापनों में स्पष्टरूप रूप से सुपाठ्य या सुश्रव्य हो।”
- (आ) क्रम संख्या 3 के लिए, “घोषणा” शीर्ष से संबंधित स्तंभ (3) के अधीन, खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित रखा शीर्ष जाएगा, अर्थात्, -
 “(iv) फिनायलकेटोन्युरिक्स; बच्चों; गर्भवती या स्तनपायी महिलाओं के लिए अनुशंसित नहीं (एस्पार्टेम-एसिसल्फेम लवण या एस्पार्टेम और एसिसल्फेम पोटेशियम के अधिमिश्रण या मिश्रण की दशा में)”
- (ख) पैरा 1 के उप-पैरा (4) की सारणी के,-
- (i) क्रम संख्या 1 के लिए, “घोषणा” शीर्ष से संबंधित स्तंभ (3) के अधीन, खंड (iv) के स्तन पर निम्नलिखित रखा शीर्ष जाएगा, अर्थात्, -
 “(iv) फिनायलकेटोन्युरिक्स; बच्चों; गर्भवती या स्तनपायी महिलाओं के लिए अनुशंसित नहीं (एस्पार्टेम-एसिसल्फेम लवण या एस्पार्टेम और एसिसल्फेम पोटेशियम के अधिमिश्रण या मिश्रण की दशा में)”
- (ii) क्रम संख्या 2 के लिए, “घोषणा” शीर्ष से संबंधित स्तंभ (3) के अधीन, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -
 “परंतु यह और कि मिठासकारकों के सम्मिश्रणों के लिए सूचना की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं हो सकेगी”
- (ग) “गर्भवती और स्तनपायी माताओं” शब्द, जहाँ कहीं आते हैं, के स्थानपर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्,-
 “गर्भवती या स्तनपायी महिलाओं”

राजित पुनहनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./785/2025-26]

टिप्पण.- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा0 सं0 1-94/एफ.एस.एस.ए.आई/एसपी(लेबलिंग)/2014(भाग 2), तारीख 17 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन फा. सं. एसएस-टी017/1/2023-मानक-एफएसएसएआई. तारीख 08 अगस्त 2025 द्वारा किया

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2026

F. No. STD/SP-08/A1.2022/N-01.—Whereas a draft of the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Amendment Regulations, 2022 were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. Std/SP-08/A1.2022/N-01, dated the 30th November, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 5th December, 2022;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020, namely: -

Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Labelling and Display) First Amendment Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on 1st July, 2027.

2. In the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 (herein after referred to as the said regulations), -

(a) in regulation 5, in sub-regulation (3), -

(i) in clause (b), in sub-clause (iv), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-

“Provided further that per serve percentage (%) contribution to Recommended dietary allowances (RDA) and number of servings per pack may not be given for Infant Nutrition products as defined under the Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2020.”;

(ii) in clause (c), -

(A) for sub-clause (i), the following shall be substituted, namely:-

“(i) Raw agricultural minimally processed products such as wheat, rice, cereals, pulses, fruits and vegetables and/or products that comprise a single ingredient.

Explanation. - Minimally processed foods are the ones that are slightly altered for the main purpose of preservation but which do not substantially change the nutritional content of the food, which may involve cleaning and removing inedible or unwanted parts, grinding, refrigeration, pasteurization, fermentation, freezing, and vacuum-packaging.”;

(B) sub-clause (ii) shall be omitted;

(C) for sub-clause (xiii), the following sub-clause shall be substituted, namely :-

“(xiii) Health supplements, Nutraceuticals and Foods for Special Dietary Uses (FSDU) in tablet, pills and capsule format, with respect to macronutrients, when sources of energy are insignificant.”

(b) in regulation 8, sub-regulation (1) (a) shall be renumbered as (1A) and after sub-regulation (1A) as so renumbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(1B) The logos notified under Food Safety and Standards Regulations may not be given where the surface area of the package is not more than 100 square centimetres, but this information shall be given on the multi-unit packages.”

(c) in regulation 10, -

(i) for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely :-

“(1) Every packaged food meant for non-retail sale shall provide the following mandatory information either on the container or pasted on the label thereto:

- (a) Name of the food;
- (b) FSSAI Logo and License number;
- (c) Date marking and storage instructions, when required for the safety or integrity of the product;
- (d) Lot number or Batch number or Code number; and
- (e) Name and address of the manufacturer or packer (including country of origin for imported packages)

Provided that in case of non-retail container containing multiple types of food, the mandatory information shall be provided for all the types of foods contained therein:

Provided further that non-retail container, which provides access to all the information required by sub-regulation (1) of regulation 10 on the label of pre-packaged foods within the non-retail container, the information stipulated in sub-regulation (1) of regulation 10 is not required.”;

- (ii) for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) The following information if not provided on the label shall be provided in the accompanying documents:

- (a) List of ingredient;
- (b) Declaration regarding Veg or Non-Veg and
- (c) Net Quantity

Provided that the information required under sub-regulation (2) of regulation 10 shall be traceable to the food in non-retail container:

Provided further that if all information required under sub-regulation (2) of regulation 10 is made available on the label of non-retail container or pre-packaged foods within the non-retail container, sub-regulation (2) of sub-regulation 10 does not apply:

Provided also that in the case of a non-retail container used as a food transportation unit that is not amenable to possess a label, all the information required under sub-regulations (1) and (2) of regulation 10 shall be provided in the accompanying documents or through appropriate other means (e.g. electronically between food businesses) and shall be effectively traceable to the food in such containers.”;

- (iii) for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4) Every package meant for non-retail sale shall be clearly identifiable as such. If the container is not clearly identifiable as a non-retail container, the container shall-

- (a) bear a statement to indicate that the food is not intended to be sold directly to the consumer or to clearly identify it as a non-retail container. Some examples of such statements are:

- (i) NON-RETAIL CONTAINER;
- (ii) NON-RETAIL CONTAINER - NOT FOR DIRECT SALE TO CONSUMER; or

- (b) carry any other mark that indicates that the container is not intended to be sold directly to the consumer.”;

- (iv) after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(5) General Information:

- (a) Information and the statements required to appear on the label by virtue of these Regulations or any other Regulations shall be clear, prominent, readily legible and applied in such a manner that any tampering with it will be evident.

- (b) The mandatory information required on the label under sub-regulation (1) of regulation 10 shall appear in a prominent position on the non-retail container and shall be readily accessible under normal handling and use of the container.”

- (d) in the said regulations, in Schedule-I, for the paragraph (1), the following paragraph shall be substituted, namely :-

“(1) Every package of food fortified as per Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018, shall carry the words “fortified with (name of the fortificant)” and the logo, as specified below, on the label and may also carry a tag line “Sampoorna Poshan Swasth Jeevan” under the logo.”;

- (e) in the said regulations, in Schedule-II, -

- (i) in paragraph 1, in sub-paragraph (3), in the Table,-
- (A) against serial number 1, under column (3) with the heading “Declarations”, after the existing entry, the following note shall be inserted, namely :-
- “Note: This warning statement shall be clearly legible or audible in advertisements related to Pan Masala”.
- (B) against serial number 3, under column (3) with the heading “Declarations”, for clause (iv), following shall be substituted, namely :-
- “(iv) Not recommended for phenylketonurics; for children; pregnant or lactating women (in case of Aspartame-Acesulfame salt or admixture or combination of Aspartame and Acesulfame Potassium)”.
- (ii) in paragraph 1, in sub-paragraph (4), in the Table, -
- (A) against serial number 1, under column (3) with the heading “Declarations”, for clause (iv) the following clause shall be substituted, namely :-
- “(iv) Not recommended for phenylketonurics; for children; pregnant or lactating women (in case of Aspartame-Acesulfame salt or admixture or combination of Aspartame and Acesulfame Potassium).”;
- (B) against serial number 2, under column (3) with the heading “Declarations”, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-
- “Provided further that the repetition of information may not be required for combination of sweeteners.”;
- (iii) for the words “pregnant and lactating mothers”, wherever they occur, the words “pregnant or lactating women” shall be substituted.

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./785/2025-26]

Note: The Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, section 4 *vide* notification number F. No. 1-94/FSSAI/SP(Labelling)/2014 (Pt-2), dated the 17th November, 2020 and last amended *vide* notification number F. No. SS-T017/1/2023-Standard-FSSAI, dated the 8th August, 2025.